

हरियाणा सरकार



"8 मार्च 1989 को 12.00 बजे दोपहर से पूर्व प्रकाशित अथवा प्रसारित न किया जाए"।

श्री बनारसी दास गुप्त

उप मुख्य मंत्री, हरियाणा

का

भाषण

जो उन्होंने

हरियाणा विधान सभा में वर्ष 1989-90 के बजट अनुमान
प्रस्तुत करते समय दिया।

चण्डीगढ़,
8 मार्च, 1989

विषय सूची

	पृष्ठ
नौवां वित्त आयोग	2—3
आर्थिक सर्वेक्षण 1988-89	3—4
संशोधित वार्षिक योजना 1988-89	5
वार्षिक योजना 1989-90	5—6
20 सूक्ष्मीय कार्यक्रम	6—7
सिचाई	7—8
सतलुज यमुना सम्पर्क नहर	8
बाढ़ नियंत्रण	8—9
विजली	9—10
कृषि	10—11
सहकारिता	11—12
वन	12
पशुपालन	12—13
मत्स्य पालन	13
खाद्य तथा आपूर्ति	13
उद्योग	13—14
श्रम तथा रोजगार	14
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	14—15
तकनीकी शिक्षा	15
ओद्योगिक प्रशिक्षण व व्यवसायिक शिक्षा	15—16
परिवहन	16
सड़के तथा पुल	17
पर्यटन	17—18
स्वास्थ्य सेवाएं	18—19
जन स्वास्थ्य	19
शिक्षा	19—20

खेल-कूद	20
समाज कल्याण	20—21
विशेष संघटक योजना	21—22
मेवात विकास बोर्ड	22
मैर्चिंग ग्रांट योजना	22—23
केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें	23
प्राकृतिक आपदायें	23—24
संसाधन संग्रह	24—25
संशोधित अनुमान 1988-89	25—26
बजट अनुमान तथा वार्षिक योजना 1989-90	27—30
सरकारी कर्मचारियों को सुविधाएं	30—32

४१-

४२-

४३-

४४-

४५-

४६-

४७-

४८-

४९-

५०-

५१-

५२-

५३-

५४-

५५-

५६-

५७-

५८-

५९-

६०-

६१-

६२-

६३-

६४-

६५-

६६-

६७-

६८-

६९-

७०-

७१-

७२-

७३-

७४-

७५-

७६-

७७-

७८-

७९-

८०-

८१-

८२-

८३-

८४-

८५-

८६-

८७-

८८-

८९-

९०-

९१-

९२-

९३-

९४-

९५-

९६-

९७-

९८-

९९-

१००-

१०१-

१०२-

१०३-

१०४-

१०५-

१०६-

१०७-

१०८-

१०९-

११०-

१११-

११२-

११३-

११४-

११५-

११६-

११७-

११८-

११९-

१२०-

१२१-

१२२-

१२३-

१२४-

१२५-

१२६-

१२७-

१२८-

१२९-

१३०-

१३१-

१३२-

१३३-

१३४-

१३५-

१३६-

१३७-

१३८-

१३९-

१४०-

१४१-

१४२-

१४३-

१४४-

१४५-

१४६-

१४७-

१४८-

१४९-

१५०-

१५१-

१५२-

१५३-

१५४-

१५५-

१५६-

१५७-

१५८-

१५९-

१६०-

१६१-

१६२-

१६३-

१६४-

१६५-

१६६-

१६७-

१६८-

१६९-

१७०-

१७१-

१७२-

१७३-

१७४-

१७५-

१७६-

१७७-

१७८-

१७९-

१८०-

१८१-

१८२-

१८३-

१८४-

१८५-

१८६-

१८७-

१८८-

१८९-

१९०-

१९१-

१९२-

१९३-

१९४-

१९५-

१९६-

१९७-

१९८-

१९९-

२००-

२०१-

२०२-

२०३-

२०४-

२०५-

२०६-

२०७-

२०८-

२०९-

२१०-

२११-

२१२-

२१३-

२१४-

२१५-

२१६-

२१७-

२१८-

२१९-

२२०-

२२१-

२२२-

२२३-

२२४-

२२५-

२२६-

२२७-

२२८-

२२९-

२२३-

२२४-

२२५-

२२६-

२२७-

२२८-

२२९-

२२३-

२२४-

२२५-

२२६-

२२७-

२२८-

२२९-

२२३-

२२४-

२२५-

२२६-

२२७-

२२८-

२२३-

२२४-

२२५-

२२६-

२२७-

२२८-

२२३-

२२४-

२२५-

२२६-

२२७-

२२८-

२२३-

२२४-

२२५-

२२६-

२२७-

२२८-

२२३-

२२४-

२२५-

२२६-

२२७-

२२८-

२२३-

२२४-

२२५-

२२६-

२२७-

२२८-

२२३-

२२४-

२२५-

२२६-

२२७-

२२८-

२२३-

२२४-

२२५-

२२६-

२२७-

२२८-

२२३-

२२४-

२२५-

२२६-

२२७-

२२८-

२२३-

२२४-

२२५-

२२६-

२२७-

२२८-

२२३-

२२४-

२२५-

२२६-

२२७-

२२८-

२२३-

२२४-

२२५-

२२६-

२२७-

२२८-

२२३-

२२४-

२२५-

२२६-

२२७-

२२८

श्री बनारसी दास गुप्त, उप मुख्य मन्त्री, हरियाणा द्वारा 8 मार्च, 1989
को राज्य विधान सभा में वर्ष 1989-90 के बजट अनुमान
प्रस्तुत करते समय भाषण ।

माननीय अध्यक्ष महोदय और मेरे गणमान्य साथियों,

मैं लगातार दूसरे वर्ष इन बजट अनुमानों को प्रस्तुत करते हुये अपने को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ, क्योंकि इन अनुमानों से हमारी सरकार द्वारा हरियाणा की जनता के साथ किए गए वायदों को पूरा करने में सहायता मिलेगी ।

यह विधि की एक विचित्र विडम्बना है कि गत वर्ष के विपरीत जिसमें इस शताव्दी का सबसे भयंकर सूखा पड़ा, चालू वर्ष में अभूतपूर्व भारी वर्षा हुई और राज्य के अधिकांश भागों में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई । इस प्रकार प्रकृति ने हमें, हमारी सरकार के प्रथम दो वर्षों के कार्यकाल में मौसम की दो पराकाष्ठाएं दिखाई हैं । प्रत्येक प्राकृतिक आपदा ने राज्य सरकार के समक्ष गम्भीर चुनौती रखी है और हमने इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया है; जैसा कि मैं आगे बताऊंगा, और हमने विकास प्रक्रिया को छिन्न-भिन्न होने से रोकने के अलावा जान माल की भी रक्षा की है । हताश आतंकवादियों के घृणित कार्यों से पानीपत, शाहबाद, पेहंवा, कंथल तथा थानेसर आदि में निर्दोष नागरिकों की हत्या करने की कई एक घटनाएं हुई हैं । हमारी सरकार ने एक बार फिर इन घटनाओं की प्रतिक्रियाओं को रोकने के लिए अत्यधिक शक्ति तथा संकल्प का प्रदर्शन किया है और इन शर्मनाक घटनाओं के दोषी सभी अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है । आतंकवादी हिंसा के सम्बंध में हमारे राज्य की संवेदनशील स्थिति के कारण हमारे राज्य पर विशेष जिम्मेदारी आ पड़ी है

और इसलिए मुझे पुलिस बल तथा उसके शस्त्रागार को मजबूत करने के लिए फौरी तौर पर धन की व्यवस्था करनी पड़ी है। फिर भी, जहां गत वर्ष अभूतपूर्व सूखे के कारण राज्य की आय पूर्व वर्ष की तुलना में 2.2% कम हुई है, इस वर्ष कृषि क्षेत्र में मानसून के अच्छे प्रभाव के कारण हमें 9% वृद्धि की आशा है।

राज्य की अर्थ व्यवस्था पर प्रतिकूल दबाव पड़ने के बावजूद हमारी सरकार द्वारा लोगों के साथ किए गए वायदों को पूरा करने का हमारा उत्साह ठण्डा नहीं पड़ा है। हमने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पूरी सावधानी बरती है कि समाज के कमज़ोर और दलित वर्गों की सहायता करने के लिए नए प्रयत्न और विकासात्मक प्रक्रिया की गति को तेज़ करने में कोई कमी न आने पाए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शुरू किए गए महत्वपूर्ण उपायों में शिक्षित स्नातकों के लिए वेरोजगारी भर्ते की स्कीम की घोषणा तथा हमारे बुजुर्ग नागरिकों, विधवाओं तथा अपर्गों को उदारशील वृद्धावस्था पैशन योजना तथा अन्य योजनाओं के लाभों को आगे बढ़ाना शामिल है।

नौवां वित्त आयोग

पिछले वित्त-वर्ष की विशेष घटना नौवें वित्त आयोग का फैसला है। सर्वप्रथम मुझे माननीय सदस्यों को यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले वर्ष मई के महीने में हमारे साथ विस्तार-पूर्वक विचार-विमर्श करने के बाद, नौवें वित्त आयोग के अध्यक्ष ने माननीय मुख्य मंत्री और हरियाणा सरकार को अपने विवेकशील और कुशल वित्तीय प्रबंध के लिए सार्वजनिक रूप से बधाई दी थी। हमारी जोरदार और प्रभावी पैरवी के कारण आयोग ने कानून और व्यवस्था की मशीनरी का आधुनिकीकरण करने के लिए 20 करोड़ रुपए तथा स्कूल-भवनों के निर्माण के लिए 4.88 करोड़ रुपए विशेष रूप से आवंटित किए हैं। फिर भी कुल मिला कर 1989-90 वित्त-वर्ष के लिए नौवें वित्त आयोग का फैसला कुछ अधिक उत्साहवर्द्धक नहीं रहा है। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि हमने इस वित्त आयोग के लिए विचारणीय

विषयों का एक विकल्प प्रस्तावित किया था जिसमें इस देश के लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को बेहतर तरीके से परिलक्षित किया जा सके। देश में इन विचारणीय विषयों के बारे में गैर कांग्रेस (आई) शासित राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने मुख्य भूमिका निभाई थी। किन्तु उनके प्रयासों से भी हरियाणा जैसे राजस्व-कुशल राज्य की कोई सहायता नहीं हुई। राज्यों तथा केन्द्र दोनों के लिए मानकित दृष्टिकोण (Normative approach) के नीतिवद्ध प्रयोग का वर्ष 1989-90 के लिए सिफारिशों को करते समय सहारा नहीं लिया गया है। हरियाणा जैसे राज्यों के द्वारा राजस्व प्रयत्नों और वित्तीय अनुशासन को ध्यान में न रखते हुए अभी भी घाटे वाले और पिछड़े राज्यों को खैरात देने पर जोर दिया जाना जारी है।

आय कर तथा आवकारी शुल्कों के अन्तरण के लिए बनाए गए फार्मूले में गरीबी तथा पिछड़ेपन को अब अतिरिक्त महत्व दिया गया है, जिससे इन विभाज्य करों में हमारे प्रतिशत हिस्से में कमी आई है। दूसरी ओर, नीवें वित्त आयोग द्वारा घाटे को पूरा करने व सेवाओं के स्तर को बढ़ाने के लिये सिफारिश की गई लगभग 1,156 करोड़ रुपए की अनुदान-राशि में से भी हमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। हमारे माननीय मुख्य मंत्री चौ० देवी लाल जी फिर भी राज्य के हितों के लिए एक जुझारू योद्धा की भूमिका निभाते रहे हैं। उन्होंने 28 जनवरी, 1989 को कलकत्ता में हुए सम्मेलन और 9 तथा 10 फरवरी, 1989 को दिल्ली में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी राज्यों की संयुक्त भावनाओं को पूरे जोर शोर से व्यक्त किया है।

मुझे उम्मीद है कि नौवा वित्त आयोग आठवीं योजना अधिक (1990-95) के लिये अपनी दूसरी रिपोर्ट में हरियाणा के लिये अधिक उदार होगा।

“हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण, 1988-89”, दस्तावेज आर्थिक जो माननीय सदस्यों को पहले ही दिया जा चुका है, गत वर्ष के सर्वेक्षण दौरान आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। मैं इसकी कुछ मुख्य

1988-89

विशेषताओं का जिक्र करना चाहूँगा। वर्ष 1987-88 के दौरान राज्य अभूतपूर्व सूखे की स्थिति से गुजरा जिससे इसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। तुरन्त अनुमानों के अनुसार राज्य की आय स्थिर कीमतों (1980-81) पर 1986-87 में 4,042 करोड़ रुपए के मुकाबले में 1987-88 में 3,954 करोड़ रुपए हुई है, जिसमें 2.2% की कमी दिखाई देती है, जबकि वर्तमान कीमतों पर यह 1986-87 में 5,931 करोड़ रुपए के मुकाबले में 1987-88 में 6,478 करोड़ रुपए हो गई है, जिस में 9.2% की वृद्धि दिखाई देती है। क्षेत्रवार विश्लेषण से यह पता चलता है कि प्राथमिक क्षेत्र का अंशदान 14.2% कम हुआ जबकि द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में क्रमशः 6.5% और 10.7% की वृद्धि हुई। सूखे का प्रभाव प्राथमिक क्षेत्र में विल्कुल स्पष्ट है। वर्ष 1987-88 में प्रति व्यक्ति आय (1980-81 की कीमतों पर) 2,572 रुपए थी जो गत वर्ष के स्तर के मुकाबले में 4.4% हो गई है। वर्तमान कीमतों पर यह 1986-87 के 3,947 रुपए के मुकाबले में 4,214 रुपए हो गई थी। अभूतपूर्व सूखे के बावजूद हरियाणा में कीमतों में वृद्धि राष्ट्रीय औसत के मुकाबले में कम हुई है। जहां अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960 = 100) मार्च, 1987 में 686 से बढ़कर मार्च, 1988 में 753 हो गया जो 9.8% वृद्धि दिखाता है तथा जो सितम्बर, 1988 में और बढ़ कर 806 हो गया, हरियाणा का श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1972-73 = 100) मार्च, 1987 तथा मार्च, 1988 के बीच 288 से 313 तक बढ़ा और इसमें केवल 8.7% की वृद्धि हुई। वर्ष 1988-89 के राज्य बजट अनुमानों के आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण से पता चलता है कि इसमें प्रत्यक्ष रूप से पूँजी निर्माण 139 करोड़ रुपए का था। जबकि निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में पूँजी निर्माण के लिए राज्य सरकार के 259 करोड़ रुपए का अंशदान इसके अतिरिक्त है।

चालू वर्ष 7वीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) का चौथा वर्ष है जिसके लिए 2,900 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया था। 1987-88 तक राज्य योजना खर्च 1,371 करोड़ रुपए था और चालू वर्ष का परिव्यय 600 करोड़ रुपए नियत किया गया था। कुछ शीर्षों के अधीन योजना परिव्यय को बाद में 50 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया था। इस योजना के लिए धनराशि जुटाने के राज्य के साधनों में विभिन्न कारणों से कुछ कमी अनुभव की गई। विकास की स्कीमों के लिए उपलब्ध साधनों में कमी के मुख्य कारण अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किस्तें और केन्द्रीय बेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन लाभों को देने के लिए लगभग 75 करोड़ रुपए का अप्रत्याशित खर्च तथा प्राकृतिक आपदाओं पर 12 करोड़ रुपए का खर्च है। कानून तथा व्यवस्था की मशीनरी को मज़बूत करने तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा सरकारी और गैर सरकारी महाविद्यालय अध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बेतनमान प्रदान करने इत्यादि के लिए क्रमशः 7 करोड़ रुपये व 11 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई। 1988-89 के लिए वार्षिक योजनापरिव्यय को तदनुसार संशोधित करके 550.63 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अन्य मदों के अलावा संशोधित परिव्ययों में विजली के लिए 140 करोड़ रुपए, सिचाई तथा बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए 96 करोड़ रुपए, सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं के लिए 196 करोड़ रुपए सहकारिता सहित कृषि तथा सम्बद्ध सेवाओं के लिए 48.6 करोड़ रुपए और परिवहन तथा यातायात सुविधाओं के लिए 30.65 करोड़ रुपए की व्यवस्था है।

संशोधित
वार्षिक
योजना
1988-89

बजट अनुमानों में राज्य वार्षिक योजना 1989-90 के लिए 676 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है जिससे चालू वर्ष के पुनरीक्षित परिव्यय के ऊपर 23.36% की वृद्धि प्रकट होती है। इसमें सहकारिता सहित कृषि तथा सम्बन्धित सेवाओं के लिए 62.88 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास के लिए

वार्षिक
योजना
1989-90

15.73 करोड़ रुपए, सिचाई तथा बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए 93.95 करोड़ रुपए, विजली के लिए 202 करोड़ रुपए, उद्योगों के लिए 14 करोड़ रुपए, परिवहन तथा यातायात सुविधाओं के लिए 37.51 करोड़ रुपए, समाज सेवाओं के लिए 233.18 करोड़ रुपए, अन्य सेवाओं के लिए 6.75 करोड़ रुपए तथा विकेन्द्रीकृत योजना के लिए 10 करोड़ रुपए शामिल हैं। सतलुज यमुना संपर्क नहर परियोजना के लिए परिव्यय 15 करोड़ रुपए नियत किया गया है। कृषि तथा उद्योगों के लिए हमारे आधारभूत ढांचे के विकास पर हमारी योजना में अधिक बल दिया जाना जारी है। तदानुसार, हमने कुल योजना परिव्यय का 29.9% विजली क्षेत्र को तथा 13.9% सिचाई योजनाओं को आवंटित किया है। इसके अलावा, हमने मानव-संसाधनों के विकास के लिए तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र को कुल परिव्यय का 34.5% आवंटित करके उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। अब मैं वर्ष 1989-90 में शुरू किए जाने वाले कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण माननीय सदस्यों के सामने रखूँगा।

20 सूचीय
कार्यक्रम

संशोधित 20 सूचीय कार्यक्रम का सर्वांगीण योजना कार्यकलापों के साथ समन्वय किया गया है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1988-89 में 73,332 परिवारों की सहायता करने के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी 1989 तक 55,873 परिवारों को सहायता प्रदान की गई है जिसमें अनुसूचित जातियों के 29,013 परिवार शामिल हैं। 40 लाख श्रमदिवसों के रोजगार के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी 1989 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 26.10 लाख श्रम दिवसों का रोजगार पैदा किया गया है जिसमें से 10.08 लाख श्रम दिवसों का रोजगार अनुसूचित जातियों के परिवारों को दिलाया गया है। ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत जनवरी 1989 तक 290 समस्याग्रस्त ग्रामों को 440 ग्रामों के लक्ष्य के विरुद्ध साफ पेय जल उपलब्ध

कराया गया है जिससे कुल 3.85 लाख आवादी को लाभ हुआ है जिसमें 0.97 लाख अनुसूचित जातियों की आवादी शामिल है। व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 3.97 लाख के लक्ष्य के मुकाबले में 3.65 लाख बच्चे लाभान्वित किए गए हैं। आवास क्षेत्र में जनवरी 1989 तक इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत 522 अनुसूचित जातियों के परिवारों को तथा कमज़ोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग आवास योजनाओं के अन्तर्गत 284 परिवारों को आवासीय सुविधा दी गई है। गंदी वस्ती उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत 8710 व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है। जनवरी 1989 तक 19000 पंपिंग सैटों के लक्ष्य के मुकाबले में 4947 पंपिंग सैटों को बिजली दी गई है तथा 35480 उन्नत चूल्हे लगाये गए हैं। वार्षिक योजना 1989-90 में 20 सूक्तीय कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यकलापों पर ऐसे ही बल दिया जाता रहेगा।

सुनिश्चित सिंचाई की सुविधाओं ने देश में और विशेष तौर पर सिंचाई उत्तरीय राज्यों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बावजूद इसके कि हमारे पास सिंचाई के इतने अधिक बारहमासी स्रोत नहीं हैं, हमारा राज्य इस क्षेत्र में अनुकरणीय मापदण्ड स्थापित करता रहा है। इस दिशा में लगातार प्रयत्नों के कारण हमारे राज्य में बावजूद भंयकर सूखे के वर्ष 1987-88 में कुल 66% क्षेत्र सिंचाई के अधीन रहा है। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त नहर आधुनिकीकरण योजना ने अभी तक 45.9 करोड़ वर्ग फीट नहरों की लाइनिंग करने में सहायता की है जिससे 1920 क्यूसिक जल की मात्रा की बचत हुई है। 1988-89 के दौरान इस परियोजना का परिव्यय 31.50 करोड़ रुपए होगा। विश्व बैंक के रिव्यू मिशन ने हरियाणा में इस परियोजना के अधीन निष्पादित कार्य के स्तर की सराहना की है। हमारा इरादा है कि हम जवाहर लाल नेहरू तथा लोहारू लिफट सिंचाई योजनाओं के लिए अगले वर्ष 5 करोड़ रुपए के परिव्यय से दक्षिणी-पश्चिमी हरियाणा

के निर्जल तथा ऊँचे-नीचे भू-भागों को और हरा-भरा बनाएं। हथनी कुण्ड वैरेज का कार्य 1989-90 के लिए 3 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ और प्रगति करेगा। भारत सरकार के विशेष खाद्यानन उत्पादन कार्यक्रम के अधीन 6.47 करोड़ की लागत से 10 नहरों की लाइंसिंग का कार्य जून, 1989 तक पूरा हो जाएगा जिससे 6630 हैक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता उत्पन्न होगी। अगले वर्ष इन सभी योजनाओं के अधीन 20,000 हैक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता पैदा करने का हमारा प्रस्ताव है। हमारी योजना की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने इंजिनीयरों को जल प्रबन्ध की आधुनिकतम तकनीकों तथा सिद्धान्तों में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देना है।

सतलुज यमुना
सम्पर्क नहर

मुझे यह खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार सतलुज यमुना सम्पर्क नहर के पंजाब के भाग को पूरा करने के महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपने हाथ पीछे खींच रही है। हम इस मामले को केन्द्रीय सरकार के साथ लगातार उठा रहे हैं। इस दौरान परियोजना की लागत 1983 में 160 करोड़ रुपए से बढ़ कर 1988 में 430 करोड़ रुपए हो गई है। सम्भावित खाद्यानन उत्पादन में भयंकर क्षति तथा इस परियोजना के पूरा न होने के कारण हमारे लोगों की आय में होने वाली क्षति निश्चित रूप से राष्ट्रीय चिन्ता का विषय है। इस वर्ष इस परियोजना पर 34.5 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है और अगले वर्ष और 15 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। मैं अपनी आशंका व्यक्त किये बिना नहीं रह सकता कि केन्द्रीय सरकार हरियाणा के साथ सम्भवतः इसलिए भेदभाव बरत रही है क्योंकि हमारा राज्य विरोधी पक्ष द्वारा शासित है। किन्तु मैं इस गरिमामय सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि माननीय सदस्यों का इस विषय में संयुक्त समर्थन प्राप्त होता रहा तो हम भारत सरकार से अपना उचित हक प्राप्त करने में सफल होंगे।

बाढ़ नियंत्रण

हमारे राज्य की बाढ़ नियंत्रण व्यवस्था को वर्ष 1988 की अभूतपूर्व बाढ़ के दौरान बहुत कड़ी परीक्षा से गुज़रना पड़ा है। जुलाई से

सितम्बर, 88 तक होने वाली वर्षा सामान्य से कई गुना अधिक थी और फलस्वरूप यमुना, मारकण्डा, टांगरी, घग्गर तथा उनकी सहायक नदियां बाढ़ से उफन पड़ीं और हमारे राज्य के काफी भाग को पानी में डुबो दिया। शुक्र है कि इस दिशा में किए गए अच्छे काम के कारण हमारे राज्य के 16 लाख हैवटेयर क्षेत्र को पहले ही बाढ़ से सुरक्षा प्रदान कर दी गई थी और इस प्रकार हमारी आधारभूत व्यवस्था तथा कृषि-उत्पादन को सम्भावित भारी नुकसान से बचाया जा सका। हां, इस प्रक्रिया में हमारी सरकार को बाढ़-पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए अपने साधनों से लगभग 12 करोड़ रुपए का खर्च करना पड़ा। वर्ष 1989-90 के लिए हमने बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए 13 करोड़ रुपए की राशि रखी है और खारा, छुड़ानी तथा बहादुरगढ़ नालों पर चल रहा कार्य लगभग पूरा होने वाला है जिससे झज्जर तथा बहादुरगढ़ क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा।

माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि हमारी सरकार ने विजली के विजली क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां प्राप्त की हैं जिसके परिणाम स्वरूप राज्य की अर्थ-व्यवस्था के कृषि तथा उद्योग दोनों क्षेत्रों में अत्यधिक उत्साह दिखाई दे रहा है। विजली में कटौती लगभग नहीं ही की गई और पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष के पहले 9 महीनों में 455.5 करोड़ यूनिट की जगह हम 491.4 करोड़ यूनिट विजली उपलब्ध करा सके हैं। वर्ष 1989 के अंत तक पानीपत में 210 मैगावाट क्षमता का एक यूनिट तथा पश्चिमी यमुना नहर पन-विजली परियोजना में 8-8 मैगावाट क्षमता के दो यूनिटों के चालू हो जाने से विजली प्राप्ति की संभावनाएं निकट भविष्य में और भी उज्ज्वल हो जाएंगी। पानीपत में 210 मैगावाट क्षमता के एक और यूनिट को स्थापित करने के लिए प्रारम्भिक कार्य भी शुरू कर दिया गया है। बल्लभगढ़ में एक 216 मैगावाट क्षमता के गैस-आधारित विजली संयंत्र को तथा एच.बी.जे. गैस पर आधारित 600 मैगावाट क्षमता के एक और

बिजली संयंत्र को लगाए जाने की स्कीम को भी हम भारत सरकार के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के लिए और अधिक पूंजीगत साधनों को जुटाने के उद्देश्य से बिजली वित्त निगम से परियोजनाओं के लिए पूंजी-ऋण देने के लिए सम्पर्क किया गया है। वर्ष 1989-90 के दौरान बिजली के क्षेत्र में योजना परिव्यय 202 करोड़ रुपए का रखा गया है।

कृषि

हमारे राज्य के परिश्रमी किसान लगातार अपने राज्य को कृषि क्षेत्र में इस देश का एक अग्रणी राज्य होने का गौरव प्रदान किये हुये हैं। केन्द्रीय खाद्यान्न भण्डार में राज्य का अंशदान 5.42% का है जबकि राज्य का कृषि-योग्य क्षेत्र केवल 1.96% है। तिलहन तथा दालों के उत्पादन पर हमने विशेष बल दिया है। कृषि में विविधता लाने हेतु हमने फलों तथा सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए बागवानी का एक अलग विभाग कायम किया है। वर्ष 1989-90 के दौरान इस प्रयोजन के लिए 93.55 लाख रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। हमारी कृषि अर्थ व्यवस्था का उल्लेखनीय लोच इस तथ्य में परिलक्षित है कि जोरदार बाढ़ के बावजूद 24.10 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले में खरीफ 1988 के दौरान खाद्यानों की उपज 24.38 लाख टन रही है। वर्तमान रवी के भी आसार अच्छे हैं और हम रवी खाद्यानों में 60.40 लाख टन के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा रखते हैं। वर्ष 1989-90 के लिए हमने खाद्यानों का उत्पादन लक्ष्य 91.10 लाख टन निर्धारित किया है और गन्ना (गुड़), तिलहन तथा कपास के उत्पादन लक्ष्यों को क्रमशः 8.50 लाख टन, 3.85 लाख टन तथा 9.50 लाख गांठें निश्चित किया है।

अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत 2.05 लाख किंवटल प्रमाणित बीजों, 5.80 लाख टन रासायनिक खादों तथा 5000 मीट्रिक टन कीटनाशक दवाइयों की खपत से 28.58 लाख हैवटेयर क्षेत्र आ जाने की आशा है। लघु सिंचाई सुविधाओं का विकास

करने के लिए कम गहरे नलकूप लगाने तथा छिड़काव सिंचाई सैटों के लिए 1.02 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। 1989-90 के दौरान 20,000 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं देने के लिए 12,000 और कम गहरे नलकूप तथा 2270 छिड़काव सिंचाई सैट लगाए जाएंगे।

अम्बाला जिले में कंडी क्षेत्र के विकास के लिए हम एक परियोजना तैयार कर रहे हैं ताकि कल्लर और खारी भूमि का सुधार किया जा सके। इसके लिए धन विश्व बैंक द्वारा जुटाया जाएगा। हम जिप्सम खरीदने के लिए 1.75 करोड़ रुपए की भूमि संरक्षण कार्यों के लिए 80 लाख रुपए की अनुदान राशि देंगे। अगले वर्ष 44 लाख रुपए की लागत से समेकित वाटर-शेड प्रबंध परियोजना जारी रखी जाएगी।

हमारी सहकारी ऋण संस्थाओं ने हमारी कर्जा माफी योजना सहकारिता को कामयावी से पूरा करने में अद्वितीय विशिष्टता प्राप्त की है। अभी तक, हरको बैंक तथा राज्य भूमि विकास बैंक ने 3.99 लाख व्यक्तियों को 33.61 करोड़ रुपए की ऋण-राहत दी है। इसके बावजूद हमने उनकी वित्तीय स्थिति कमजोर नहीं होनी दी है और परिणाम स्वरूप 1988-89 के दौरान दीर्घ और मध्यम अवधि के 251 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए तथा 1989-90 के दौरान हमने 315 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। इसी प्रकार, अगले वर्ष के लिए हरियाणा राज्य भूमि विकास बैंक का भूमि के विकास, बागवानी के विकास तथा कृषि संयंत्रों के लिए 75 करोड़ रुपए के ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। हैफेड ने उर्वरकों के विपणन में मुख्य भूमिका निभाई है तथा इस वर्ष इसके द्वारा 65 करोड़ रुपए के उर्वरकों का विपणन किये जाने की संभावना है। राज्य की सहकारी चीनी मिलों ने 1987-88 में 9.82% की अभूतपूर्व वसूली दर प्राप्त की तथा 150.56 लाख किंवटल गन्ने की पिराई की। इस वर्ष इन मिलों के द्वारा 180 लाख किंवटल गन्ने की पिराई किये

जाने की संभावना है। हमने कैथल, महम और भूना में तीन नई सहकारी चीनी मिलों के लिए 1988-89 के लिए 8.50 करोड़ रुपए और 1989-90 के लिए 11.40 करोड़ रुपए की हिस्सा-पूँजी की व्यवस्था की है। इस राशि के आधे की प्रतिपूर्ति एन०सी०डी०सी० द्वारा की जाएगी। 1989-90 में सहकारिता के विकास के लिए 11.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

वन

वनीकरण में हमारी गतिशील नीति के कारण राज्य का कुल 9.3% क्षेत्र शुरू के 3.8% के मुकाबले वनों के अन्तर्गत आ जाने की संभावना है। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना के साथ-साथ व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण प्रयासों से अगले वर्ष 25.90 करोड़ रुपये के परिव्यय से 39,600 हैक्टेयर क्षेत्र और वनों के अंतर्गत आने की संभावना है। उजड़ी हुई अरावली पर्वतमालाओं के पुनरुद्धार हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिये हमने 4.13 करोड़ रुपए की एक योजना भेजी है। विभाग की वाणिज्यिक गतिविधियों जैसे क्रेट, सेवों के वक्से, फर्नीचर और कोयला आदि बनाने से 1989-90 के दौरान 6.30 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

पशुपालन

राज्य के पशुधन में और अधिक सुधार लाने तथा उसे समृद्ध बनाने के हमारे प्रयास जारी हैं और आगामी वर्ष के दौरान 40 पशु चिकित्सालय तथा 1 पोलीक्लिनिक खोलने और 30 पशु चिकित्सालयों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें पूर्ण हस्पताल बनाने का प्रस्ताव है। हमारी सरकार मुर्गीपालन, सुअरपालन, भेड़पालन तथा बछड़ापालन करने के लिये पिछड़ी जातियों के सदस्यों को प्राथमिकता देती है और इस कार्य के लिए 1989-90 के लिए 2.25 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त कमज़ोर वर्गों के 4500 परिवारों को भी अगले वर्ष इन व्यवसायों में सहायता प्रदान की जाएगी। विभाग का अगले वर्ष 5.98 करोड़ रुपए के योजना

परिव्यय से 31.25 लाख टन दूध, 36.50 करोड़ अण्डे, 14 लाख किलोग्राम ऊन तथा 20 लाख ब्रॉएलर के उत्पादन का लक्ष्य है।

राज्य में मत्स्य पालन को और विकसित करने के लिए हमारी मत्स्य पालन योजना में आगामी वर्ष के लिए 1.85 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था है। ऐसी आशा है कि 20,000 टन मछली पैदा करने के लिए 500 लाख मत्स्य-बीज स्टाक किए जाएंगे और इससे 4.50 लाख श्रम दिवस का रोजगार जुटाया जाएगा। वर्ष 1989-90 के दौरान हिसार और कुरुक्षेत्र में मत्स्य किसान विकास अभियानों की स्थापना भी की जाएगी।

खाद्य तथा आपूर्ति विभाग ने केन्द्रीय पूल के लिए इस वर्ष जनवरी 1989 तक पिछले वर्ष की इसी अवधि के 2.87 लाख टन के मुकाबले खाद्य तथा आपूर्ति में 6 लाख टन से अधिक चावल खरीद किया है। आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए उचित मूल्य की दुकानों का जाल ऐसी दुकानों की संख्या 6516 तक बढ़ जाने से और मजबूत कर दिया गया है और हमने ध्यान रखा है कि किसी भी उपभोक्ता को अपनी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई हासिल करने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय न करनी पड़े। उपभोक्ताओं के हित की रक्षा हेतु हमने हिसार और अम्बाला में दो जिला कष्ट-निवारण फोरम स्थापित करने का भी निर्णय किया है।

आर्थिक विकास के लिए हमारी सरकार की नीति औद्योगिकरण उद्योग को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान करती है। हमारी औद्योगिक नीति का लक्ष्य अपने राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए उदारतापूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करना है। जनरेटिंग सैट सहायता अनुदान छोटे पैमाने के यूनिटों के लिए प्रति के०वी०ए० 1000/- रुपये से बढ़ाकर 1200/- रुपए और मध्यम तथा बड़े पैमाने के यूनिटों के लिए प्रति के०वी०ए० 500/- रुपए से बढ़ाकर 600/- रुपए कर दिया गया है और सहायता अनुदान की अधिकतम सीमा भी बढ़ा कर 15 लाख रुपए कर दी गई है। केन्द्रीय/राज्य/मेवात सहायता अनुदान भी 10 से 15% से बढ़ा कर 25% कर दिया गया है। 1-4-88 के बाद स्थापित, विस्तारित या

डाईवर्सीफाइ (diversify) होने वाली यूनिटों को बिक्री कर की छूट या विलम्बन (deferment) लेने का विकल्प दिया गया है। इलेक्ट्रानिक उद्योगों के लिए हमने और भी ज्यादा प्रोत्साहनों की घोषणा की है। विजली-प्राप्ति में सुधार के कारण इस प्रक्रिया को और बल मिला है। ऐसे ही 2500 और यूनिटों की स्थापना से आगामी वर्ष में छोटे औद्योगिक यूनिटों के फैलाव को अधिक मजबूत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 15 बड़े और मध्यम पैमाने के यूनिट भी स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम डबवाली, गोहाना तथा मुरथल में 3 नई औद्योगिक संपदाएं स्थापित करके आवश्यक आधारभूत ढांचा खड़ा करने में बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस की सहायता से बावल में एक प्रिटेड सर्किट बोर्ड निर्माण संयंत्र और गुडगांव में एक रैक्स प्रॉजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा वित्त निगम द्वारा सावधिक ऋणों के वितरण का लक्ष्य 1989-90 के दौरान 32 करोड़ रुपए होगा।

श्रम तथा
रोजगार

सरकार ने औद्योगिक शांति बनाए रखने और कामगार श्रेणी के लिए उचित मजदूरी को सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए हैं। हमने 1-1-89 से अकुशल कामगारों के लिए कम से कम मजदूरी 625/- प्रतिमास या औद्योगिक कामगारों के लिए 24 रु० प्रतिदिन और कृपक श्रमगारों के लिए 25/- रुपए प्रतिदिन कर दी है जो सम्भवतः देश में सबसे अधिक है। आगामी वर्ष के दौरान दो और श्रम कल्याण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

मुझे यह बताते हुए अत्यधिक संतोष है कि हमारी सरकार ने 1 नवम्बर, 1988, हरियाणा दिवस के दिन से 100/- रुपए प्रतिमाह की दर से वेरोजगार स्नातकों को वेरोजगारी भत्ता देकर न केवल अपना चुनावी वचन निभाया है बल्कि एक अनुकरणीय प्रगतिशील कार्य किया है। इस योजना के लिए हमने अगले वर्ष 6.04 करोड़ रुपए की राशि निश्चित की है।

विज्ञान तथा
प्रौद्योगिकी

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिषद् ने विकास के क्षेत्र में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रयोग से सम्बन्धित नीति तथा उपायों पर सरकार को

मूल्यवान मन्त्रणा दी है। अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक दूरस्थ संवेदनशील तकनीकी के प्रयोग के लिए हिसार में दो करोड़ रुपये की लागत से एक दूरस्थ संवेदनशील प्रयोगशाला केन्द्र की स्थापना की जा रही है। गुडगांव में ग्वालपहाड़ी में सौर ऊर्जा केन्द्र की स्थापना में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान 10 करोड़ रुपये की लागत से ऐसी ही एक और परियोजना गुडगांव में स्थापित करने जा रहा है। विभाग भी राज्य में 50-50 किलोवाट क्षमता वाले दो सौर थर्मल पावर संयंत्र तथा एक 20 किलोवाट क्षमता वाले सौर पी०वी० संयंत्र की स्थापना कर रहा है। ऊर्जा के गैर परम्परागत उपयोग को 1989-90 में समन्वित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम को तीन और खण्डों में विस्तारित कर के प्रोत्साहित किया जाएगा। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के लिए 1989-90 के लिए योजना परिव्यय 86 लाख रुपये रखा गया है।

हमने व्यापक तथा सघन दोनों रूप से तकनीकी शिक्षा सुविधाओं को समृद्ध कर तकनीकी मानवशक्ति के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। जहां मुरथल में इंजीनियरिंग महाविद्यालय ने पहले ही कार्य करना शुरू कर दिया है और उस के लिए भवन निर्माण का कार्य बड़ी तेज़ी से चल रहा है, हिसार में एक और इंजीनियरिंग संस्थान स्थापित करने का हमारा प्रस्ताव है। नारनौल उतावड़, गुडगांव तथा जीन्द में नए बहुतकनीकी संस्थान खोले जा रहे हैं और महिलाओं के लिए फरीदाबाद में एक राजकीय बहु-तकनीकी संस्थान की स्थापना की जाएगी। तकनीकी शिक्षा के लिए योजना परिव्यय 6.15 करोड़ रुपए रखा गया है।

नई तकनीकी दक्षताओं को उत्पन्न व विकसित करने तथा शिक्षा को व्यवसायनिष्ट बनाने पर जोर देना हमने जारी रखा है। विभाग ने औद्योगिक प्रशिक्षण सुविधाओं को उन्नत व विस्तृत करने के लिये वर्ष 1989-90 से वर्ष 1994-95 तक लागू होने वाली 18 करोड़ रु० की एक परियोजना बनाई है। इसमें पचास फीसदी तक सहायता लेने

तकनीकी
शिक्षा

ओद्योगिक
प्रशिक्षण व
व्यवसायिक
शिक्षा

के लिये इस परियोजना को विश्व-बैंक के सामने रखा जा रहा है। 1989-90 में महिलाओं के लिये दो और आई०टी०आई० तथा नये ट्रैड जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ड्राफ्टसमैन इत्यादि खोले जायेंगे। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विकास के लिये अगले वर्ष का योजना परिव्यय 2.53 करोड़ रु० रखा गया है। व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 1989-90 में सीटों की संख्या 8680 से बढ़ाकर 9720 कर दी जायेगी और एक राज्य स्तरीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान स्थापित किये जाने की संभावना है। व्यवसायिक शिक्षा के लिये अगले वर्ष योजना परिव्यय 3.85 करोड़ रुपये है।

परिवहन

हरियाणा परिवहन अपने विस्तृत तथा कुशल परिवहन-जाल के माध्यम से परिवहन की मूल्यवान सेवा प्रदान कर रहा है। हमारी बसों प्रतिदिन 14 लाख यात्रियों को 9.7 लाख किलोमीटर की यात्रा करती है। विभाग द्वारा अंजित कामकाज के स्तर की हर मूल्यांकन में प्रशंसा हुई है तथा योजना आयोग ने पहले ही इस को सर्वोत्तम परिवहन उपक्रम के रूप में माना हुआ है। हमने मिनी बसों द्वारा ग्रामीण मार्गों पर सहायक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने का भी अद्वितीय कदम उठाया है और हमारा 61 बसों के वर्तमान बेड़े में 100 और मिनी बसों को जोड़ने का विचार है। इसके अतिरिक्त, टैम्पो तथा टैक्सियों के अनियमित परिवहन को रोकने तथा राज्य के लिए राजस्व अंजित करने के लिए ऐसे सभी वाहनों के पंजीकरण के लिए विस्तृत हिदायतें जारी की गई हैं और इस योजना को प्रभावकारी ढँग से लागू करने के लिए एक सघन अभियान शुरू किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 15 नवम्बर 1988 तक राज्य में 1,083 टैम्पो तथा टैक्सियों का पंजीकरण किया गया है जिस से सङ्क कर तथा लाइसेंस फीस के रूप में 10.54 लाख रुपए की आय हुई है। 1989-90[”] की वायिक योजना में 200 नई बसों को खरीदने तथा 387 बसों को बदलने के लिए 15.10 करोड़ रुपए के परिव्यय का उपबन्ध किया गया है।

परिवहन के कुशल संचालन के लिए अच्छी सड़कों का होना सड़कें तथा
एक अनिवार्य आवश्यकता है। अगले वर्ष की योजना का लक्ष्य पुल
वर्तमान सड़कों के 290 कि० मी० को सुधारना तथा 220 कि० मी०
नई पक्की सड़कें जोड़ने का रखा गया है। जहाँ करनाल के पास
यमुना पर एक दूसरे पुल का कार्य पहले ही हाथ में ले लिया गया
है, हम फरीदावाद के पास यमुना पर एक अतिरिक्त पुल तथा दूसरा
पुल कुरुक्षेत्र-सहारनपुर सड़क पर बनाने की योजना बना रहे हैं।
मुरथल से करनाल तक 80 कि० मी० की दूरी में राष्ट्रीय राज
मार्ग सं० 1 को चार मार्गों वाला बनाने का कार्य काफी प्रगति पर है
और उसके निर्धारित तिथि अर्थात् अप्रैल, 1991 से पहले पूरे हो जाने
की सम्भावना है। 1989-90 के दौरान करनाल-अम्बाला-राजपुरा
सड़क को भी चौड़ा किया जाएगा। सड़कों तथा पुलों के विकास के
लिए योजना परिव्यय 20 करोड़ रुपए रखा गया है।

ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के विकास के लिये अतिरिक्त साधन
जुटाने की दृष्टि से हमने यह निर्णय लिया है कि हरियाणा राज्य कृषि
विपणन बोर्ड अधिक से अधिक ग्रामीण सम्पर्क सड़कों को उनके रखरखाव
के लिये ले लेगा और अगले वर्ष से ऐसी नई सड़कों का निर्माण भी शुरू
कर देगा। बोर्ड ने इस साल 2.50 करोड़ रुपए पहले ही लोक निर्माण
विभाग (भवन व सड़कें) को सड़कों के रखरखाव के लिये अदा कर
दिये हैं और अगले वर्ष यह 8 करोड़ रुपये से भी ज्यादा लागत से
300 कि० मी० नई सम्पर्क सड़कों का निर्माण करेगा।

हरियाणा में प्रदान की गई नई से नई पर्यटक सुविधायें देश पर्यटन
में एक आदर्श स्थापित कर चुकी हैं। चौबीसी का चबूतरा (महम)
में परम्परा व आधुनिकता का एक अनोखा सम्मिश्रण करके पर्यटक
सुविधाओं का विकास करने की एक अद्वितीय योजना पर हम काम
कर रहे हैं। पिंजौर उद्यान में व आसाखेड़ा पर्यटक केन्द्र पर दो
संगीतमय फवारे लगाये जा रहे हैं और देश में पहली बार एक
वातानुकूलित नौका की सुविधा अबूबशहर पर्यटक केन्द्र में दी गई है।

सूरजकुंड में अब हर साल लगाने वाला क्राफ्ट मेला कल्पनाशील तरीके से संस्कृति व पर्यटन का एक साथ विकास करने का एक उदाहरण है। सूरजकुंड में ही एक आँडिटोरियम व रेस्तराँ, फरीदाबाद में एक गोल्फ कोर्स और दमदमा व बहादुरगढ़ में नये पर्यटक केन्द्रों तेज़ी से बन रहे हैं। पानीपत, हिसार, सोनीपत व कर्ण-झील केन्द्रों पर पर्यटकों के लिए आवासीय सुविधा बढ़ाई जा रही है। विभाग की इन गतिविधियों को 1989-90 में 2.25 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय से चलाया जायेगा।

स्वास्थ्य सेवाएं

“2000 ईस्वी तक सभी के लिए स्वास्थ्य” के उद्देश्य के समंवन में 15.29 करोड़ रुपए के योजना परिव्यय से 161 उप केन्द्र, 61 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र वर्तमान आधारभूत ढांचे में और जोड़ दिए जाएंगे। अगले वर्ष कर्मचारी राज्य वीमा योजना के अन्तर्गत 2645 और कर्मचारियों को लाया जाएगा। 75 लाख रुपए का परिव्यय भारतीय चिकित्सा पद्धति की प्रोन्नति के लिए विशेष रूप से रखा गया है।

हमने आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, रोहतक में तकनीकी मानवशक्ति और सुविधाओं के विकास को उच्च प्राथमिकता भी दी है। चालू वर्ष के दौरान हमने आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के अध्यापकों के वेतनमानों को काफी अच्छा कर दिया है। रेडियो-चिकित्सा में एम०डी०/डिप्लोमा, ऑर्थोडोन्टिक में एम०डी०एस० और प्रोसोथोडोन्टिक में एम०डी०एस० के नए पाठ्यक्रम चालू किए गये हैं और हृदय-विज्ञान (कार्डियोलाजी) और हृद-शल्य चिकित्सा (कार्डिएक सर्जरी) के नए विभाग बनाए गए हैं। इस वर्ष केंसर-अस्पताल को भी पूरा किया गया है। आगामी वर्ष के दौरान 1.5 करोड़ रुपए की लागत वाला एक बॉडी कैट स्कैन संयंत्र चालू कर दिया जाएगा और दन्त-स्वास्थ्य विज्ञान में डिप्लोमा भी चालू किया जाएगा। अधोस्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 50 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता वाले एक नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की अग्रोहा में मंजूरी भी

दी गई है। जनता की सेवा में राज्य सरकार और एक समाजसेवी समुदाय के बीच सहयोग का यह एक ठोस उदाहरण होगा। 1989-90 के लिए आयुर्विज्ञान शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए योजना परिव्यय 19.08 करोड़ रुपए है।

हमारा राज्य अधिकाधिक गांवों को नलों द्वारा पीने का पानी जन-स्वास्थ्य उपलब्ध कराने की सुविधा देने के लिए अग्रणी रहा था। सातवीं योजना अवधि के दौरान इस सुविधा के अन्तर्गत लाए जाने वाले 2000 चुने गए समस्याग्रस्त गांवों में से, जनवरी 1989 तक ऐसी सुविधाएं 1740 गांवों को दे दी गई हैं। 1989-90 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित परिवर्धित ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत 5.50 करोड़ रुपयों के अतिरिक्त 25.88 करोड़ रुपयों का योजना परिव्यय 400 और समस्याग्रस्त गांवों को जल प्रदाय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रखा जा रहा है।

हम इस तथ्य से पूर्णतः परिचित हैं कि हरियाणा में साक्षरता शिक्षा दर बहुत कम है। इसलिए हमने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर अधिक जोर दिया है और इस उद्देश्य के तहत हम ने प्राथमिक शिक्षा का एक अलग निदेशालय स्थापित किया है। मुझे विश्वास है कि विकास के इस महत्वपूर्ण पहलू को अब बांधित बढ़ावा मिलेगा। इस वर्ष के दौरान वालिकाओं के लिए 200 प्राथमिक विद्यालय खोलने तथा 112 विद्यालयों के लिए अतिरिक्त अध्यापकों तथा साजसामान की व्यवस्था करने की भी योजना है। अगले वर्ष 100 और प्राथमिक विद्यालयों, 50 माध्यमिक विद्यालयों, और 25 उच्च विद्यालयों का दर्जा बढ़ा दिया जाएगा। इस वर्ष हमने प्रति विद्यार्थी प्रति विद्यालय-दिन की दर से 1/- रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि दे कर खानावदोश जातियों के बच्चों को विद्यालय जाने के लिए आकर्षित करने हेतु एक अद्वितीय योजना की घोषणा की है। इस योजना को अगले वर्ष भी जारी रखा जाएगा। शैक्षणिक योग्यताओं को सुधारने के लिए, 8 जिला स्तरीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण

संस्थान खोले जा रहे हैं, और बाकी के 4 जिलों में यह अगले वर्ष खोले जाएंगे। अगले वर्ष के दौरान बाकी के तीन जिलों में भी एक-एक नवोदय विद्यालय खोला जाएगा।

हमारा विश्वास है कि एक सन्तुष्ट अध्यापक समुदाय ही शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए राज्य की सहायता कर सकता है। सरकार ने और बातों के अलावा विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के अध्यापकों के वेतनमानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतन मानों के आधार पर संशोधित किया है, जिससे राज्य पर 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा है। उच्चतर अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए एक राज्य स्तरीय परिषद् स्थापित की गई है और शिक्षा की राष्ट्रीय नीति को प्रभावकारी ढंग से लागू करने के लिए उच्चतर शिक्षा के लिए एक दूसरी परिषद् का गठन किया जाने वाला है। अगले वर्ष तावड़ू तथा मण्डी डबवाली में दो सरकारी महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है और हमारा राज्य में एक खुला विश्वविद्यालय स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

खेल-कूद

हमारे राज्य ने कई विलक्षण खेल प्रतिभाओं दी हैं जिन्होंने अपने राज्य व देश के लिये सम्मान अर्जित किया है। खेल प्रतिभाओं को और अधिक विकसित करने की दृष्टि से कुछ चुने हुये खेलों जैसे कुश्ती व जिमनास्टिक में हमने खेलकूद नर्सरियां बनाई हैं जिनमें हमारे खिलाड़ी परम्परागत रूप से दक्ष रहे हैं। जिमनास्टिक की दो नर्सरियां अम्बाला व यमुनानगर में तथा कुश्ती की एक नर्सरी रोहतक में स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई खेल गतिविधियों के विकास के लिये अगले वर्ष 1.75 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

समाज कल्याण

सामुदायिक लाभ के लिए समाज-कल्याण योजनाओं को हम निरन्तर वित्तीय तथा प्रशासनिक सहारा दे रहे हैं। हमारी वृद्धावस्था पेन्शन योजना से हमारे वरिष्ठ नागरिकों में गर्व, आत्म-सम्मान तथा मान्यता

की एक नई तथा अद्वितीय भावना आई है और इसने देशभर में चेतना पैदा कर दी है। इस वर्ष 7.62 लाख व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेन्शन दी गई और 79.60 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई तथा आगामी वर्ष इस योजना के लिए 90 करोड़ रुपए का प्रावधान है। विधवा पेन्शन भी 50 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए प्रतिमास कर दी गई है। हमने किशोर न्याय अधिनियम, 1986 को लागू किया है और तदानुसार हमने 5 पर्यवेक्षण गृहों के अतिरिक्त प्रत्येक जिले में किशोर कल्याण बोर्डों, अम्बाला, भिवानी तथा सोनीपत में 3 किशोर न्यायालय, तथा मधुबन, भिवानी और छछरौली में 3 किशोर गृह स्थापित किए हैं। इस क्षेत्र को दिया गया महत्व इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि हमने इस विभाग के लिए 97.92 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा है। अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा अन्य दलित वर्गों की सामाजिक-आर्थिक उन्नति के लिए हरिजन वस्तियों के पर्यावरण सम्बन्धी सुधार, आवासीय सहायता, पेय जल प्रदाय तथा हरिजन चौपालों आदि की योजनायें चलाई जा रही हैं। इन वर्गों के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि भी कक्षा VI से VIII के लिये 15 रुपए से बढ़ा कर 30 रुपए प्रतिमास तथा कक्षा IX से XI के लिये 20 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रतिमास कर दी गई है और लेखन सामग्री अनुदान भी मिडिल स्कूल कक्षाओं के लिए 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए वार्षिक तथा उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के लिए 20 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए कर दिया गया है। 1989-90 के दौरान राज्य सरकार हरियाणा हरिजन कल्याण निगम तथा हरियाणा पिछड़े वर्ग कल्याण निगम को अपनी हिस्सा पूंजी के रूप में क्रमशः 50 लाख रुपए तथा 60 लाख रुपए और देगी।

हमारी सरकार ने अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिये विशेष संघटक योजना हमेशा खास रूचि दिखाई है। अनुसूचित जातियों के परिवारों की सहायता के लिये इस वर्ष 54.40 करोड़ रुपए व अगले वर्ष

70.86 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जनवरी 1989 तक 29,013 परिवारों की सहायता की गई है और अगले वर्ष 41,713 परिवारों की सहायता का लक्ष्य है।

मेवात विकास बोर्ड

मेवात विकास बोर्ड के लगातार विकास प्रयत्नों से दक्षिणी हरियाणा का यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। रोज़का मेव में विकसित होता हुआ औद्योगिक क्षेत्र मेवात के बदलते हुये स्वरूप का एक ठोस उदाहरण है। बोर्ड की गतिविधियों के लिये अगले वर्ष योजना परिव्यय 3 करोड़ रुपए रखा गया है।

मैचिंग ग्रांट योजना

हमारे माननीय मुख्य मन्त्री मैचिंग ग्रांट योजना के अग्रणी रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में विकास की समस्त गतिविधियों में हमने जनता को शामिल किया है और हमारा "जन शक्ति" में पूर्ण विश्वास है। इस आदर्श के साथ हमारी सरकार ने जनहित के अधिकाधिक कार्य पंचायतों और लोगों के सहयोग से करने को पूरा बढ़ावा दिया है और इसके परिणाम अत्यंत संतोषजनक रहे हैं। राजकोष से हमने उदारतापूर्वक मैचिंग ग्रांट प्रदान की है और इस वर्ष तथा अगले वर्ष इस मद में क्रमशः 2.66 करोड़ रुपए तथा 3.32 करोड़ रुपये खर्च होने की आशा है। माननीय मुख्य मन्त्री जी अपने राहत कोष से भी बजट के बाहर मैचिंग ग्रांट देते रहे हैं। चालू वर्ष में पूरे राज्य में अनेक विकास कार्यों के लिये उन्होंने 1.12 करोड़ रुपये प्रदान किये हैं।

हमने यह महसूस किया कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। उनके साधनों को बढ़ाने के लिये सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास वाली देशी शराब की प्रत्येक बोतल पर 1 रुपए की दर से अतिरिक्त आबकारी कर लगाने का फैसला किया है। यह निर्णय किया गया है कि इस कर से प्राप्त होने वाली आय पंचायत समितियों व पंचायतों के मध्य निम्न प्रकार से बांटी

जायेगा :—

- (i) पंचायतों के क्षेत्र में आने वाले ठेकों पर बिक्री की मात्रा के अनुसार 25% हिस्सा पंचायतों को दिया जायेगा।
- (ii) 50% हिस्सा पंचायत समितियों के क्षेत्र में पड़ने वाली पंचायतों को उनकी नवीनतम जनगणना के अनुसार दिया जायेगा।
- (iii) 25% हिस्सा पंचायत समिति द्वारा अपने क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिये रख लिया जायेगा।

इसी आधार पर नगरपालिका क्षेत्रों में शहरी ठेकों से विकने वाली देशी शराब पर चुंगी की जगह लगाये गये अतिरिक्त आबकारी कर से आने वाला राजस्व सम्बन्धित नगरपालिका को दिया जायेगा।

राज्य के योजना परिव्ययों के अलावा, जिनका ज़िक्र मैंने केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ अभी किया है, 1989-90 के बजट अनुमानों में केन्द्रीय प्रायोजित/ केन्द्रीय योजनाओं तथा अन्य विकास योजनाओं के लिये योजना स्तर पर 98.44 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

गत वर्ष के बिल्कुल विपरीत समाप्त होने वाला वर्ष मानसून वर्ष के कारण भारी जल-प्रलय का वर्ष था जिसमें पिछले कई सालों का वर्ष का रिकार्ड टूट गया। बाढ़ द्वारा सड़कों, सिंचाई कार्यों तथा मकानों इत्यादि को व्यापक क्षति पहुंची थी। यद्यपि मानव जीवन हानि को लगभग पूर्ण रूप से रोक लिया गया फिर भी बहुत से व्यक्ति वेघर-वार हो गए। माननीय सदस्य हमारी 192.10 करोड़ रुपए की मांग के विरुद्ध, बाढ़ राहत के लिए 32.14 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने में भारत सरकार की “दरियादिली” से अवगत हैं। इस तुच्छ केन्द्रीय सहायता ने स्पष्ट रूप से हमारी सीमित साधन स्थिति को नहीं सुधारा, फिर भी हमने भारत सरकार

द्वारा दिए गए धन के अतिरिक्त प्रभावित व्यक्तियों के लिए राहत पर 12 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। मैंने पहले भी कहा है कि इस अप्रत्याशित खर्च के कारण राज्य पर भारी वित्तीय दबाव पड़ा है। खर्च की बड़ी-बड़ी मद्दें कृषि सहायता अनुदान के लिए 4.12 करोड़ रुपए, भोजन तथा आश्रय के लिए 3.75 करोड़ रुपए, सड़कों की मरम्मत के लिए 5.50 करोड़ रुपए, सिचाई संकर्मों की मरम्मत तथा पानी की निकासी के लिए 14.20 करोड़ रुपए तथा क्षतिग्रस्त ट्रांसफारमरों की मरम्मत के लिए 2.60 करोड़ रुपए थीं। मुख्य मन्त्री के राहत कोष से भी इस प्रयोजन के लिए 1.42 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी।

संसाधन
संग्रह

हमारी सरकार को इस बात का पूरा एहसास है कि इसकी महत्वाकांक्षी कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं को केवल एक सुदृढ़ साधन आधार के द्वारा ही कार्य रूप दिया जा सकता है। नए साधनों को तलाशने की दृष्टि से 1987 में एक समिति गठित की गई थी। संसाधन समिति अपना बहुमूल्य परामर्श देती रही है जिसके परिणाम स्वरूप हम राज्य की जनता पर किसी प्रकार का बोझ बढ़ाए विना विद्यमान राजस्व तथा पूंजीगत ढांचे को विवेकसंगत और प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग में लाने में समर्थ रहे हैं। विशेष रूप से, उपयोग में न लाई गई और फालतू पड़ी सरकारी जमीनों के बड़े भू-भाग हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जरिए आवासीय और वाणिज्यिक उपयोग में लाए जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में सरकार को 2.5 करोड़ रुपए तक की प्रारम्भिक प्राप्ति हुई है जिसके आगामी वर्ष में कई गुना हो जाने की सम्भावना है। इसी प्रकार निष्क्रान्त (Evacuee) सम्पत्तियों के कब्जों के विनियमन से चालू वर्ष के दौरान 3.17 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है और भविष्य में होने वाली वसूलियां चरणबद्ध ढंग से 10 करोड़ रुपए से भी अधिक होने का अनुमान है। विजली की दरों में संशोधन से, जिससे विजली उत्पादन की बढ़ी हुई लागत का केवल

एक छोटा सा भाग ही पूरा होगा, चालू वर्ष में 60.65 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है। समिति के परामर्श पर उठाया गया एक आवश्यक कदम अचल सम्पत्ति के कम मूल्यांकन की प्रथा को समाप्त करना था जिससे सरकार को स्टाम्प शुल्क के रूप में भारी राजस्व की हानि हो रही थी। ज़िला तथा उपज़िला स्तरों पर मूल्यांकन समितियों के गठन के कारण इस वर्ष स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन फीसों द्वारा अनुमानतः 13 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व वसूल किया जाएगा। अतः मैं अनुभव करता हूं कि संसाधन समिति के बहुमूल्य मार्गदर्शन में अपनी स्कीमों के लिए वित्त जुटाने की मेरी चिन्ता निरन्तर कम होती जाएगी जैसे जैसे हम अपने प्रयासों में आगे की ओर बढ़ेंगे।

वर्ष 1988-89 के लिए संशोधित अनुमान, चालू वर्ष के लिए वजट अनुमानों को प्रस्तुत करने के बाद के हालातों को ध्यान में रखते हुए यह दर्शाते हैं कि यह वित्त वर्ष वजट अनुमानों में दिखाए गए 36.32 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले में भारतीय रिजर्व बैंक की बहियों के अनुसार 19.78 करोड़ रुपए के घाटे के साथ समाप्त होगा। ये आंकड़े हमारी सरकार की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों के होते हुए भी कुशल वित्त प्रबन्ध प्रणाली को बनाए रखने के हमारे इरादे को दर्शाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है, इस वर्ष राज्य वित्त पर कई कारणों से प्रतिकूल दबाव पड़े हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्राथमिकता वाली योजनाओं के लिए कुछ अतिरिक्त योजना परिव्यय स्वीकृत किए गए थे और राज्य योजना परिव्यय में कांट-छांट की गई ताकि यह राज्य सरकार के दायित्वों को देखते हुये परिवर्तित आवश्यकताओं तथा साधनों के अनुरूप हो जाए। फलस्वरूप संशोधित राज्य योजना परिव्यय 600 करोड़ रुपए के मूल परिव्यय के मुकाबले में 550.63 करोड़ रुपए रखा गया है।

संशोधित
अनुमान
1988-89

वर्ष 1988-89 के लिए अथशेष (-) 3.06 करोड़ रुपए के अनुमानित अथशेष के मुकाबले में (-) 7.51 करोड़ रुपए आया

है। (—) 7.51 करोड़ रुपए के अथशेष में 31 मार्च, 1988 को राज्य सरकार द्वारा धारित 16.85 करोड़ रुपए के खजाना बिलों को समायोजित किया गया है। वर्ष के दौरान राजकोष पर अतिरिक्त भार अभूतपूर्व वाढ़ आने से राहत, मरम्मत तथा पुनर्वास के कार्यों (12 करोड़ रुपए), पेशनों तथा सेवांत लाभों के संशोधन और महंगाई भत्ते की किस्तें देने (74.76 करोड़ रुपये), वृद्धावस्था पेशन और वेरोजगारी भत्ता जैसे सामाजिक सुरक्षा उपायों (13 करोड़ रुपए), महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय शिक्षकों आदि के बेतन मानों के संशोधन इत्यादि (11 करोड़ रुपए) और आतंकवादियों की बढ़ी हुई गतिविधियों के कारण कानून और व्यवस्था के प्रबंधों को मज़बूत करने (7 करोड़ रुपए) के कारण रहा है।

इस वर्ष के योजना परिव्ययों को पुमव्यवस्थित करते समय हमने इस बात का ध्यान रखा है कि धन की कमी के कारण विजली व सिचाई जैसे महत्वपूर्ण विकास के क्षेत्रों तथा अन्य लोक संकर्मों को कोई वाधा न आये। विकास कार्यों के लिये अधिकाधिक साधन जुटाने का हमारा संकल्प इस बात से जाहिर है कि वर्ष 1988-89 के दौरान अल्प बचत संग्रह में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इस साधन का सफलतापूर्वक दोहन करने से हमारी सरकार बजट में व्यवस्थित 110 करोड़ रुपयों के ऋण के विरुद्ध भारत सरकार से 170 करोड़ रुपयों का ऋण ले सकी है। आने वाले साल में भी हम इस गति को बनाये रखने की आशा करते हैं। दूसरी ओर, पहले के वर्षों में शुरू किए गए सरकारी खर्च में किफायत लाने के उपायों को जारी रखा गया है तथा वाहनों, फर्नीचर, कीमती वस्तुओं और अनुत्पादक चीजों पर किए जाने वाले खर्च को यथा सम्भव सीमित रखा गया है। उपरिवर्णित परिस्थिति के बावजूद तथा राज्य को रोज़मर्रा की रोकड़ी सहायता दिए जाने में भारतीय रिजर्व बैंक की प्रतिवन्धात्मक नीति के बावजूद मैं संतोषपूर्ण ढंग से कह सकता हूं कि राज्य की अर्थोपाय स्थिति को सारे वर्ष पूर्ण नियंत्रण में रखा गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 1989-90 के लिए
ऊपर बताए गये योजना परिव्यय तथा गैर-योजना व्यय को सम्मिलित
करने वाली बजट प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उभरने वाली राज्य की
वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करता हूँ :-

बजट अनुमान
तथा
वार्षिक
योजना
1989-90

(रुपए करोड़ों में)

संघटक	संशोधित	लेखे	बजट	संशोधित	बजट
	अनुमान	1987-88	अनुमान	अनुमान	अनुमान
	1987-88		1988-89	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6
I. अथ शेष					
(क) महालेखाकार के					
अनुसार (-) 43.57 (-) 43.57 (-) 44.26 (-) 29.75 (-) 42.02					
(ख) भारतीय रिजर्व बैंक					
के अनुसार (-) 2.37 (-) 2.37 (-) 3.06 (-) 7.51 (-) 19.78					
(ग) प्रतिमूलियों में					
निवेश 7.98 7.98 7.98 7.98 7.98					
II. राजस्व लेखा					
प्राप्तियां 1357.98 1303.84 1447.47 1458.85 1665.52					
खर्च 1314.39 1287.48 1349.99 1512.76 1623.35					
अधिष्ठेष (+)/					
घाटा (-)(+) 43.59 (+) 16.36 (+) 97.48 (-) 53.91 (+) 42.17					
III. पूंजीगत खर्च 140.23 60.49 132.58 132.12 126.89					
IV. सार्वजनिक ऋण					
लिया गया ऋण 586.98 542.07 532.94 409.65 610.28					
भुगतान 462.30 443.09 411.66 216.67 416.51					
निवल (+) 124.68 (+) 98.98 (+) 121.28 (+) 192.98 (+) 193.77					
V. कर्ज और पेशगियां					
पेशगियां 177.63 198.26 221.91 188.28 241.80					
वसूलियां 28.37 25.35 33.91 26.50 32.82					
निवल (-) 149.26 (-) 172.91 (-) 188.00 (-) 161.78 (-) 208.98					
VI. अन्तर्राज्यीय निपटान — — — — —					
VII. आकस्मिकता निधि					
में विनियोजन — — — — —					

(रुपए करोड़ों में)

संघटक	संशोधित अनुमान 1987-88	लेखे 1987-88	बजट अनुमान 1988-89	संशोधित अनुमान 1988-89	बजट अनुमान 1989-90
	1	2	3	4	5
VIII. आकस्मिकता निधि					
निवल		— (+) 2.89	—	—	—
IX. छोटी वचतें, भविष्य					
निधि आदि					
निवल	(+) 96.94	(+) 87.60	(+) 48.38	(+) 86.74	(+) 53.27
X. जमा तथा पेशगियाँ—					
आरक्षित निधियाँ,					
निलम्बित					
तथा विविध					
निवल	(+) 23.59	(+) 43.00	(+) 20.18	(+) 55.82	(+) 30.20
XI. प्रेषण (निवल)	—	(-) 1.61	—	—	—
XII. वर्ष का इति शेष					
(क) (i) महालेखाकार					
के अनुसार (—) 44.26	(—) 29.75	(—) 77.52	(—) 42.02	(—) 58.48	
(ii) भारतीय					
रिजर्व बैंक					
के अनुसार (—) 3.06	(—) 7.51*	(—) 36.32	(—) 19.78	(—) 36.24	
(ग) प्रतिभूतियों					
में निवेश	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98

*भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित 31 मार्च, 1988 को बकाया 16.85 करोड़ रुपए के खजाना विलों के समायोजन के पश्चात्।

उपर्युक्त विवरण से यह पता चलता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की बहियों के अनुसार वर्ष 1989-90 के अन्त में 36.24 करोड़ रुपए का घाटा होने की संभावना है जबकि प्रारंभिक घाटा 19.78 करोड़ रुपए का था। राजस्व लेखे से 42.17 करोड़ रुपए का अधिशेष होने की संभावना है तथा शुद्ध सार्वजनिक ऋण 193.77 करोड़ रुपए की सीमा तक होगा। करतथा गैर-कर दोनों राजस्व प्राप्तियों के बारे में अनुमान है कि वे नीवें वित्त आयोग द्वारा अनुमानित

दर से कुछ अधिक दर पर ही बढ़ेंगी। उदाहरण के तौर पर, राज्य आबकारी शुल्क से राजस्व 1988-89 से 17% से अधिक बढ़ने वाला दिखाया गया है तथा आगामी वित्त वर्ष के लिए आबकारी नीति में हाल ही में किये गये परिवर्तनों के परिणामस्वरूप यह वृद्धि और भी अधिक हो सकती है। इसी प्रकार, विक्री कर से राजस्व जिसके 14.8% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, कर चोरी रोकने के उपायों के परिणामस्वरूप तथा केन्द्रीय सरकार के वायदे के मुताबिक अगले वर्ष के मध्य तक लगाये जाने वाले प्रेषण कर (Consignment Tax) से संभव प्राप्तियों के कारण और बढ़ जाने की संभावना है। गैर-योजना प्रयोजनों के लिए व्यय और आय का अनुमान लगाने में भी, नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है। वर्ष के दौरान कानून और व्यवस्था की मशीनरी को मजबूत बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए के अनुदान तथा स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिए 4.88 करोड़ रुपए के अनुदान जिनकी नौवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है, को शामिल कर लिया गया है। आगे मंजूर की जाने वाली मंहगाई भत्ते की किस्तों के भुगतान के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है।

केन्द्र प्रायोजित स्कीमों और अन्य विकास स्कीमों के लिए 98.44 करोड़ रुपए के परिव्यय के अलावा 1989-90 के बजट अनुमानों में राज्य योजना परिव्यय के लिए 676 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है। सिचाई और विजली क्षेत्रों के लिए कुल 290.95 करोड़ रुपए के परिव्यय से जो चालू वर्ष के पुनरीक्षित परिव्यय से 25.39% अधिक है, हमारे राज्य में कृषि और उद्योग के विकास को दी गई उच्चतम प्राथमिकता प्रकट होती है। इसके अतिरिक्त 1989-90 के लिए कृषि और ग्रामीण विकास के लिए परिव्यय से वर्तमान वर्ष के परिव्ययों पर 20.38% की वृद्धि तथा सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के लिए 19.37% की वृद्धि दी गई है।

मैं कोई नया कर या शुल्क लगाने का प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं, न ही मैं किसी वर्तमान कर की दर को बढ़ाने का प्रस्ताव कर रहा हूं। परंतु, इस तथ्य के बाबजूद माननीय सदस्य सराहना करेंगे कि 1989-90 के लिए 36.24 करोड़ रुपए के घाटे को बिल्कुल सुरक्षित तथा प्रवंधनीय सीमाओं के भीतर रखा गया है। परन्तु साथ ही साथ मुझे यह भी चिन्ता है कि केन्द्र के मेरे साथी केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने केन्द्रीय बजट में और बजट-पूर्व उपायों के द्वारा रेल-भाड़े में वृद्धि, कोयले और स्टील के सरकारी मूल्यों में वृद्धि, और विभिन्न वस्तुओं पर आबकारी शुल्क में वृद्धि करके भारी बोझ डाला है। इन उपायों से राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित रूप से बहुत अधिक मूल्य-वृद्धि होगी जिससे हमारे राज्य के नागरिकों पर भी निश्चित रूप से वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसलिए मैं सोचता हूं कि राज्य का एक कर मुक्त बजट प्रस्तुत करते हुए मैं अपनी जनता को उनकी परेशानियों को और न बढ़ा कर केवल सीमित राहत ही दे रहा हूं। राज्य सरकार को भी परिवहन तथा बिजली सेवाओं के प्रवंध में निपुणता और सुधार लाना होगा ताकि मूल्य वृद्धि के बुरे प्रभावों को सीमित रखा जा सके। मुझे फिर भी विश्वास है कि कुशल वित्तीय प्रवंध और बचत के उपायों के कारण वर्ष 1989-90 का 36.24 करोड़ रुपये का छोड़ा हुआ घाटा और कम हो जाएगा। मुझे यह भी विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार आगामी वर्ष के मध्य तक प्रेप्त कर (Consignment Tax) लगाने के अपने वचन को निभाएगी। इस उपाय से लगभग 50.00 करोड़ रुपए वार्षिक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है।

सरकारी कर्मचारियों
को मुक्तिधाएं

हमारा विश्वास है कि सरकारी योजनाओं को पूर्णतया प्रभाव-कारी ढंग से लागू करने की दृष्टि से सरकारी कर्मचारियों का हौसला, जो इन योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं ऊंचा रखा जाना चाहिये और हमने इस विश्वास को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों को अप्रत्याशित लाभ प्रदान किए हैं। पहली बार हमारी सरकार ने भारत सरकार की

ही तरह उन कर्मचारियों को वर्ष 1987-88 के लिए 27 दिन के वेतन के वरावर बोनस स्वीकृत किया है जो किसी उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस स्कीम या किसी अन्य अनुग्रह स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते। इससे 22.22 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ आयेगा। परन्तु बाढ़ इत्यादि के कारण सरकार की कठिन अर्थोपाय स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोनस का भुगतान कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कर के किया जाएगा। हमने इसके अतिरिक्त चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी 1986 से संशोधित पेन्शन तथा सेवान्त लाभ देने के अपने निश्चय को भी कार्यरूप दिया है, जिसके कारण होने वाले खर्च का अनुमान चालू वर्ष में 19.32 करोड़ रुपए और अगले वर्ष में 7.50 करोड़ रुपए का है।

हमने कर्मचारी संगठनों की विभिन्न मांगों पर सहानुभूतिपूर्ण तथा व्यवहारिक दृष्टिकोण लेने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त मंत्रियों की समिति भी गठित की है। इसकी सिफारिशों के आधार पर हमने दौरे पर जाने वाले कर्मचारियों को देय दैनिक भत्ते की दरों में संशोधन किया है और चिकित्सा भत्ता भी 200 रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 360 रुपए प्रतिवर्ष कर दिया है। यह राज्य सरकार के समक्ष आई अत्यधिक वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद कर्मचारियों की वास्तविक कठिनाइयों के लिए जब वे दौरे पर हों या जब उन्हें चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो, क्षतिपूर्ति करने के लिए किया गया है।

विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा गैर-सरकारी तथा सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आधार पर संशोधित किए गए हैं। आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, रोहतक के अध्यापकों के वेतनमान भी चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर संशोधित कर दिए गए हैं। वेतन विसंगति आयोग ने अपनी रिपोर्ट 27-2-89 को प्रस्तुत कर दी है। हम पूरी तेजी से इसकी सिफारिशों की जांच करेंगे और उन्हें कार्यरूप देंगे।

हमारी सरकार ने इन कर्मचारी कल्याण उपायों को इस प्रत्यक्ष विश्वास के साथ किया है कि सरकार का उनके प्रति सकारात्मक तथा उदार दृष्टिकोण उनको और प्रेरित करेगा कि वे हमारे राज्य के निर्माण के लिए प्रयासों में अपना सर्वोत्तम योगदान दें।

अपने भाषण को समाप्त करने से पूर्व मैं कर्मचारियों की उस टीम के प्रति अपना आभार और धन्यवाद अवश्य व्यक्त करूँगा जिन्होंने इन बजट अनुमानों को सावधानीपूर्वक तैयार करने में कठिन परिश्रम किया है। महालेखाकार, हरियाणा ने इसमें विशेषतौर से हमारी सहायता की है। वित्त विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने वास्तव में बजट अनुमानों को समय पर तैयार करने, संकलित तथा प्रस्तुत करने में कठिन परिश्रम किया है। संघ राज्य क्षेत्र के मुद्रणालय का तथा हरियाणा मुद्रणालय का इस कार्य के निष्पादन में सदैव की भाँति अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं इन सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।

महोदय, अब मैं इस सदन के विचार तथा अनुमोदन के लिए इन बजट अनुमानों को प्रस्तुत करता हूँ।

जय हिन्द ।